

कार्यालय
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
बरेली



चिकित्सा पंजीकरण प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश शासन आयुष-1 के शासनादेश संख्या 4636/71-आयुष-1-2014-डब्लू-283/2014 लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर 2014, शासनादेश संख्या 4445/71-आयुष-1-15-डब्लू/283/2014 लखनऊ दिनांक 29.01.2016 एवं शासनादेश संख्या 1297/71-आयुष-1-15-डब्लू-283/2014 लखनऊ दिनांक 03 अगस्त 2016 के निर्गत के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन

- 01- चिकित्सालय संचालक का नाम :- वीर महेन्द्र पाल सिंह (ट्रस्ट महेन्द्र गायत्री फाउण्डेशन) द्वारा संचालित
02- निवास स्थान :- धनवन्तरी आयुर्वेदिक अस्पताल ग्राम-चिटौली, पोस्ट-फतेहगंज (पश्चिमी), जिला-बरेली
03- मो० नं०/ईमेल आईडी :- 9412293473 mgfayur@gamil.com
04- चिकित्सा प्रतिष्ठान का प्रकार :- काय चिकित्सा, शल्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, पंचकर्म, बालरोग, शालाक्य, नेत्र रोग, सामान्य चिकित्सा, आकस्मिक चिकित्सा (आयुर्वेद चिकित्सा के अन्तर्गत)
05- क्लीनिक/प्रतिष्ठान का पता :- धनवन्तरी आयुर्वेदिक अस्पताल ग्राम-चिटौली, पोस्ट-फतेहगंज (पश्चिमी), जिला-बरेली
06- प्रदत्त चिकित्सा सेवायें :- काय चिकित्सा, शल्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, पंचकर्म, बालरोग, शालाक्य, नेत्र रोग, सामान्य चिकित्सा, आकस्मिक चिकित्सा आदि एवं शा०सं०-3223/आयुष-1-2015-वि०प०-8/2011 दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 के अनुसार एलोपैथिक औषधि अनुमन्य
07- पंजीकृत अधिकृत चिकित्सकों का विवरण :-

क्र० सं०	नाम चिकित्सक	योग्यता	जन्म तिथि	संस्था का नाम	बोर्ड का नाम एवं पंजी०सं०	अंशकालिक/पूर्णकालिक
1	डा० जितेन्द्र कुमार शर्मा	BAMS	11.07.1962	कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर	भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० 41718	पूर्णकालिक
2	डा० अरविन्द चतुर्वेदी	BAMS MD	15.06.1987	छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर	भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० 56221	पूर्णकालिक
3	डा० अनिमेश मोहन	BAMS MD	31.08.1991	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी	आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० 62300	पूर्णकालिक
4	डा० आदित्य कुमार शील	BAMS M.S.	27.02.1979	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० 52384	पूर्णकालिक
5	डा० अश्विनी एस. भाट	BAMS M.S.	09.11.1980	राजीव गॉंधी यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर	आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० 52384	पूर्णकालिक
6	डा० प्रियंका सिंह	BAMS M.S.	23.11.1989	राजीव गॉंधी यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर	आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० 58310	पूर्णकालिक
7	डा० सुशील कुमार गुप्ता	BAMS M.D.	01.07.1962	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० 38441	पूर्णकालिक
8	डा० महावीर सिंह	BAMS	01.01.1986	राजीव गॉंधी यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर, कर्नाटक	आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० 64700	पूर्णकालिक
9	डा० सुरेश चन्द्र गंगवार	BAMS	11.06.1965	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक	भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० 43308	पूर्णकालिक
10	डा० जीवन वरुण पाठक	BAMS	24.04.1984	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार	भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० 55579	पूर्णकालिक
11	डा० हिमानी गंगवार	BAMS	20.07.1993	गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब	आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० 63686	पूर्णकालिक
12	डा० सविस्ता बी	BAMS	12.07.1992	एम०जे०पी० रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली	आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० 73421	पूर्णकालिक
13	डा० अमय कुमार त्रिपाठी	BAMS	12.11.1989	एम०जे०पी० रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली	आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० 73663	पूर्णकालिक

- 08- क्लीनिक/प्रतिष्ठान का पंजीकरण सं०-क्ष०आयु०/536
09- वैधता तिथि :- दिनांक 10.01.2026 से 09.01.2027 तक

(डा० अजय पाल सिंह)
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
बरेली

संख्या-क्ष०आयु०/2025-26/1808(I-II)

दिनांक- 29-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-रजिस्ट्रार आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड (भारतीय चिकित्सा परिषद्) उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्सकों के चिकित्सा प्रतिष्ठान का अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अंकन कर लिया गया है।
2-प्रबन्धक/निदेशक धनवन्तरी आयुर्वेदिक अस्पताल ग्राम-चिटौली, पोस्ट-फतेहगंज (पश्चिमी), जिला-बरेली को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में क्लीनिक पंजीकरण का नवीनीकरण समय अन्तर्गत ही करा लिया जाये तथा क्लीनिक/चिकित्सालय संचालन के परिपेक्ष्य में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि आपके द्वारा ड्रग एवं मैजिक रैमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन करते हुये शर्तिया/गॉरिन्टेड इलाज जैसा कोई भ्रामक प्रचार किया जाता है तथा यॉयोबस्ट के निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो आपके क्लीनिक का पंजीकरण निरस्त कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें उ०प्र० लखनऊ आदेश संख्या-सा०/755/6006/19 दिनांक 08.08.2024 के अनुसार औषधि वितरण का कार्य प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा ही कराया जावे।

(डा० अजय पाल सिंह)
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
बरेली



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

**District Registering Authority
BAREILLY**

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION


This is to certify that **DHANVANTARI AYURVEDIC HOS** located at **VILLAGE CHITAU LI** owned by **VEER MAHENDRA PALSINGH** has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a **Hospital, Ayurveda, Paedia, Gyne, Medicine, Surgery, Ophtha, Polyclinic, Physiotherapy, Dental Clinic, Day Care Centre, PANCH KARMA, KSHARSUTRA, Pathology, Haematology, Biochemistry, Xray Centre, ECG Centre, UltraSound Centre, CTGPANCHKARMA KSHARSUTRA** under **Allopathy, Ayurveda, Yoga** System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

Number of Beds - 60

Place: Bareilly

Date of Issue: 25/06/2025


कृते मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बरेली

DRA: Bareilly

Designation of the Issuing Authority

Terms and Conditions of Registration*

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

**Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.*